पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰ – 42/ 2018–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत 8 (आठ) अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक एवं जरनल्स के क्रय हेतु कुल रू॰ 78,00,000=00 (अठहतर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 8 (आठ) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल, वी॰ पी॰ मंडल अभियंत्रण महावि॰, मधेपुरा, सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक॰, सीतामढ़ी, लोकनायक जयप्रकाश प्रौ॰ सं॰, छपरा, नालन्दा कॉलेज आफॅ इंजीनियरिंग, चण्डी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, बी॰ सी॰ ई॰ भागलपुर एवं मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक एवं जरनल्स के क्रय हेतु कुल रू॰ 78,00,000=00 (अठहतर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल	1,000,000.00
2	वी॰ पी॰ मंडल अभियंत्रण महावि॰, मधेपुरा	1,000,000.00
3	सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक॰, सीतामढ़ी	1,000,000.00
4	लोकनायक जयप्रकाश प्रौ॰ सं॰, छपरा	900,000.00
5	नालन्दा कॉलेज आफॅ इंजीनियरिंग, चण्डी	900,000.00
6	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	1,000,000.00
7	बी॰ सी॰ ई॰ भागलपुर	1,000,000.00
8	मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी	1,000,000.00
	कुल	**7,800,000.00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 112–इंजिनियरी / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, छपरा, हिलसा, गया, भागलपुर एवं मोतिहारी से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि से पुस्तकों का क्रय संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो० – 42/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो० – 42/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, छपरा, हिलसा, गया, भागलपुर एवं मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो० – 42/ 2018– 2692 /पटना, दिनांक– 28.9.2018

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल, वी० पी० मंडल अभियंत्रण महावि०, मधेपुरा, सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक०, सीतामढ़ी, लोकनायक जयप्रकाश प्रौ० सं०, छपरा, नालन्दा कॉलेज आफॅ इंजीनियरिंग, चण्डी, बी० सी० ई० भागलपुर, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/09/18

सरकार के उप सचिव

27/9/18